न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– चंचल वर्मा आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या–08/2022

1. आशाराम पुत्र श्री रामकुमार जाति सोनी उम्र 46 वर्ष निवासी वार्ड नं0 4, फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–निगरानीकर्ता

बनाम

1. सुरेन्द्र पुत्र श्री हनुमान प्रसाद जाति सोनी उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड नं0 4, फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. ग्राम पंचायत फेफाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति नोहर जरिये अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– गैरनिगरानीकर्तागण

उपस्थितः– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

श्री रविन्द्र गोदरा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1

निर्णय दिनांकः– 15/09/2023

प्रार्थी आशाराम पुत्र श्री रामकुमार जाति सोनी उम्र 46 वर्ष निवासी वार्ड नं0 4, फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ने निगरानी विरूद्ध निर्णय अपील संख्या 09/2014 दिनांक 07.04.2022 जिसके द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या–3 ने निगरानीकर्ता के पिता के पक्ष में ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा जारी पट्टा दिनांक 11.11.1981 को खारिज करनें बाबत पेश की, निगरानीकर्ता जिसे एतद् पश्चात् अपील में संयोजित पक्षकार रामकुमार के स्थान पर निगरानीकर्ता को विधिक उतराधिकारी के रूप में संयोजित किया गया है, के पिता रामकुमार व गैरनिगरानीकर्ता संख्या–2 के विरूद्ध गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 जिसे एतद् पश्चात् अपीलार्थी कहा जायेगा, ने पंचायत समिति नोहर के कार्यालय में इस आश्य की अपील पेश की, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है।

1. अपीलार्थी के दादा लेखराम पुत्र श्रीचन्द जाति सुनार निवासी फेफाना का गांव फेफाना में एक पट्टे शुद्धा रिहायशी मकान स्थित है जिसका पट्टा नम्बर 554 दिनांक 05.09.1972 को ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा जारी किया हुआ है, जिसके आसा पासा व माप उतर में नत्थूराम मिरासी, दक्षिण में आम गली, उसके बाद गिनाणी, पूर्व में आम गली, पश्चिम में काशीराम चमार माप उतर में 35 दरगज यानी 105 फुट,

15/9/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

दक्षिण में 35 दरगज यानी 105 फुट, पूर्व में 38 दरगज यानी 114 फुट, पश्चिम में 38 दरगज यानी 114 फुट का स्थित है। इस पैतृक मकान का घरू बंटवारा होने पर इस माप के पश्चिम दिशा का 1/3 हिस्सा अपीलार्थी व उसके पिता को प्राप्त हुआ है जिसका आसा पासा व माप निम्न प्रकार है उतर में नत्थूराम मिरासी, दक्षिण में अपीलार्थी का मुख्य दरवाजा व आम गली, पूर्व में प्रत्यर्थी संख्या 2, पश्चिम में काशीराम चमार, माप उतर में 35 फुट, दक्षिण में 35 फुट, पूर्व में 114 फुट, पश्चिम में 114 फुट का स्थित है । प्रत्यर्थी अर्थात् निगरानीकर्ता के पिता ने मार्च 2014 में अपीलार्थी के मकान के दक्षिण तरफ स्थित मुख्य दरवाजा व आम गली को अवरूद्ध कर आवागमन बाधित कर दिया। जिसकी शिकायत अपीलार्थी ने दिनांक 21.03.2014 को श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर, श्रीमान जिला कलेक्टर हनुमानगढ़, श्रीमान एस.डी.एम साहब नोहर, श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर, श्रीमान सरपंच महोदय ग्राम पंचायत फेफाना को जरिये रजिस्टर्ड डाक पोस्ट ऑफिस नोहर के प्रेषित की। उसके बाद अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायत के सम्बंध में की जाने वाले कार्यवाही की जानकारी लोक सूचना कानून के तहत मांगने पर श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर द्वारा दिनांक 02.05.2014 को मय सचिव ग्राम पंचायत फेफाना की रिपोर्ट सूचना दी। उक्त सूचना का अवलोकन करने पर अपीलार्थी को पता चला कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थी के मकान के दक्षिण दरवाजा व आम रास्ता की भूमि का पट्टा जारी करवा रखा है जिस पर अपीलार्थी ने पट्टा की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत फेफाना के समक्ष आवेदन करने पर पट्टा की नकल दिनांक 14.05.2014 को प्राप्त होने पर तथाकथित पट्टा का ज्ञान होने पर उससे व्यथित होकर यह अपील अपीलार्थी ने पेश की, कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 रामकुमार के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 11.11.1981 का विधि विरूद्ध एवं रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है । प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम से जारी पट्टा दिनांक 11.11.1981 पर मिसल संख्या, मिसल दायरा दिनांक, पट्टा नम्बर अंकित नहीं है। जिससे पट्टा अपने आप ही संदिग्ध हो जाता है, जो अपनी जात से ही शून्य एवं प्रभावहीन है । अपीलार्थी के दादा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 554 दिनांक 05.09. 1972 में स्पष्ट तौर पर अंकित किया हुआ है कि पट्टा में वर्णित जारी नक्शा में भी दक्षिण दिशा की तरफ दरवाजा दिखाया हुआ है और दरवाजा के बाद गिनाणी दिखाई हुई है जिससे यह प्रथम दृष्टया दस्तावेज रिकॉर्ड से यह प्रमाणित है कि अपीलार्थी के दादा के नाम से जारी भूखण्ड के दक्षिण तरफ रास्ता है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने तथाकथित पट्टा दिनांक 11.11.1981 में उतर दिशा में अपना खुद का मकान होना बताया है। उतर दिशा में पट्टा दिनांक 11.11.1981 के समय अपीलार्थी व उसके पिता का पैतृक मकान है, जो घरू बंटवारा में सन् 1976

15/9/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

में प्राप्त हुआ जिससे यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत फेफाना से वास्तविक तथ्य छुपाकर फर्जी एवं नुमाईशी दस्तावेज की रचना करके उन दस्तावेजों को असल के रूप में प्रयोग करके सन् 1981 के पट्टा में उतर दिशा में अपना खुद का मकान फर्जी तौर पर दिखाया है और सन् 1981 के पट्टा में दक्षिण की तरफ ओमप्रकाश पुत्र अमीलाल का मकान भी मिथ्या दिखाया है जबकि अपीलार्थी को दी गई लोक सूचना मय नक्शा में पट्टा सन् 1981 के आसे पासे भी मौका की भौतिक स्थिति से भिन्न होने पर पट्टा संदिग्ध परिस्थितियों की परिभाषा में आता है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने पट्टा सन् 1981 का 90 गुणा 50 फुट का जारी करवाना बताया है और पट्टा के उतर में 90 फुट, दक्षिण में 90 फुट है और अपीलार्थी व उसके पिता के मकान के दक्षिण दिशा के पश्चिम कौने से लेकर पूर्वी कोणे तक प्रत्यर्थी संख्या 2 के पट्टा के माप के आगे से माप किया जावेगा तो उसके पट्टा सन् 1981 का उतर दिशा की 90 फुट भूमि अपीलार्थी व उसके पिता के हिस्से में आऐ माप 35 फुट को पार करने का बाद अन्दर आगे पूरा होता है यानी अपीलार्थी के दादा के पट्टा की भूमि में दक्षिण तरफ दरवाजा के आगे से प्रत्यर्थी सं. 2 के पट्टा सन् 1981 का माप उतरी तरफ 90 फुट पूरा होता है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि तथाकथित पट्टा अपीलार्थी के दक्षिण दिशा में दरवाजा बंद हो जाता है। अपीलार्थी व उसके पिता के हिस्से में आऐ पैतृक मकान के आगे बंटवारा के समय से 20 फुट आम रास्ता मौका पर है लेकिन प्रत्यर्थी सं. 2 ने तथाकथित पट्टा सन् 1981 की आड़ में आम रास्ता की भूमि जिस पर अपीलार्थी का दक्षिण तरफ रिहायशी मकान का दरवाजा खुलता है, को अवरूद्ध कर आवागमन बाधित किया है ऐसा पट्टा बने रहने से अपीलार्थी का आवागमन बाधित हो रहा है और अपीलार्थी को घौर असुविधा हो रही है। इसलिए अपीलार्थी तथाकथित पट्टा को निरस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। इसलिए अपील को अन्दर म्याद माना जाए व अपीलाधीन पट्टा को खारिज किया जाए।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 61 के अन्तर्गत पेश अपील को दर्ज की जाकर पक्षकारान को सुनवाई नोटिस जारी किये गये । पक्षकारान को सुनवाई के अवसर प्रदान किये। मौका रिपोर्ट कमेटी को वादगत भूखण्ड का मौका निरिक्षण कर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी।

3. अपील की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी के दादा मुतवफी पुत्र श्री चन्द्र सुनार निवासी फेफाना का गांव फेफाना में एक पट्टे शुदा रिहायशी मकान स्थित है जिसका पट्टा नंबर 554 दिनांक 05.09.1972 को ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा जारी किया हुआ है, पट्टा दिनांक 11.11.1981 के समय अपीलार्थी व उसके पिता का पैतृक मकान है जो घरू बंटवारा में सन् 1976 में प्राप्त हुआ जिससे यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या–2

15/9/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

ने ग्राम पंचायत फेफाना से वास्तविक तथ्य छूपा कर फर्जी एवं नुमाईशी दस्तावेज पट्टा बनवाया है और जिसके दक्षिण तरफ ओमप्रकाश पुत्र अपीलाल का मकान भी मिथ्या दिखाया है जबकि अपीलार्थी को दी गई लोक सूचना मय नक्शा में पट्टा सन् 1981 के आसे पासे मेल नहीं खाते है। प्रत्यर्थी सं.–2 ने पट्टा सन् 1981 का 90 गुणा 50 फुट का जारी करवाना बताया है। पट्टा के अनुसार माप करने पर अपीलार्थी के मकान के दक्षिण दिशा के दरवाजा को बन्द कर व गली आम की भूमि को मिला लेने पर पूरा होता है जिससे अपीलार्थी का दक्षिणी दरवाजा बंद हो जाता है। अपीलार्थी व उसके पिता के हिस्से में आऐ पैतृक मकान के आगे बंटवारा के समय से 20 फुट आम रास्ता मौका पर है, लेकिन प्रत्यर्थी संख्या–2 ने तथाकथित पट्टा सन् 1981 की आड़ में आम रास्ता की भूमि जिस पर अपीलार्थी का दक्षिण तरफ रिहायशी मकान का दरवाजा खुलता है, को अवरूद्ध कर आवागमन बाधित किया है ऐसा पट्टा बने रहने से अपीलार्थी का आवागमन बाधित हो रहा है और अपीलार्थी को घौर असुविधा हो रही है। इसलिए प्रत्यर्थी संख्या–2 के पक्ष में जारी तथाकथित पट्टा को निरस्त किया जाऐ।

4. इसके पश्चात् प्रत्यर्थी संख्या–3 द्वारा अपील में यह भी कथन अंकित करते हुए कि अपील में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 11.11.1981 विधि विरूद्ध एवं रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरित है तथा उक्त पट्टा पर मिसल संख्या, मिसल दायरा दिनांक व पट्टा नंम्बर अंकित नहीं है तथा उक्त पट्टा अपने आप संदिग्ध हो जाता है और अपनी जात से शून्य व प्रभावहीन है तथा उक्त पट्टा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 के दादा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 554 दिनांक 05.09.1972 में स्पष्ट तौर पर से अंकित किया हुआ है कि पट्टा के जरिये मौजूदा दरवाजा पश्चिम, दक्षिण की तरफ है। पट्टा में वर्णित जारी नक्शा में भी दक्षिण दिशा की तरफ दरवाजा दिखाया गया है। दरवाजा के बाद गिनानी दिखाई हुई है इस प्रकार दस्तावेज रिकॉर्ड से प्रत्यर्थी संख्या 2 ने तथाकथित पट्टा दिनांक 11.11.1981 में उत्तर दिशा में अपना खुद का मकान होना बताया जबकि उतर दिशा में प्रत्यर्थी संख्या 2 का मकान नहीं है उत्तर दिशा में पट्टा दिनांक 11.11.1981 के समय अपीलार्थी व उसके पिता का पैतृक मकान है, जो घरू बंटवारा में सन् 1976 में प्राप्त हुआ जिससे यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत फेफाना से वास्तविक तथ्य छूपा कर फर्जी एवं नुमाईशी दस्तावेज की रचना करके उन दस्तावेजों को असल के रूप में प्रयोग करके सन् 1981 के पट्टा में उत्तर दिशा में अपना खुद का मकान फर्जी तौर पर दिखाया है और सन् 1981 के पट्टा में दक्षिण तरफ ओमप्रकाश पुत्र अपीलाल का मकान भी मिथ्या दिखाया है जबकि अपीलार्थी को दी गई लोक सूचना मय नक्शा में पट्टा सन् 1981 के आसे पासे भी मौका की भौतिक स्थिति से भिन्न होने पर पट्टा संदिग्ध परिस्थितियों की

15/9/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

परिभाषा में आता है । प्रत्यर्थी संख्या 2 ने पट्टा सन् 1981 का 90 गुणा 50 फुट का जारी करवाना बताया है और पट्टा के उतर में 90 फुट, दक्षिण में 90 फुट है और अपीलार्थी व उसके पिता के मकान के दक्षिण दिशा के पश्चिम कौने से लेकर पूर्वी कोणे तक प्रत्यर्थी संख्या–2 के पट्टा के माप के आगे से माप किया जावेगा तो उसके पट्टा सन् 1981 का उतर दिशा की 90 फुट भूमि अपीलार्थी व उसके पिता के हिस्से में आऐ माप 35 फुट को पार करने का बाद अन्दर आगे पूरा होता है यानी अपीलार्थी के दादा के पट्टा की भूमि में दक्षिण तरफ दरवाजा के आगे से प्रत्यर्थी सं. 2 के पट्टा सन् 1981 का माप उतरी तरफ 90 फुट पूरा होता है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि तथाकथित पट्टा अपीलार्थी के दक्षिण दिशा में दरवाजा बंद हो जाता है । अपीलार्थी व उसके पिता के हिस्से में आऐ पैतृक मकान के आगे बंटवारा के समय से 20 फुट आम रास्ता मौका पर है लेकिन प्रत्यर्थी सं. 2 ने तथाकथित पट्टा सन् 1981 की आड़ में आम रास्ता की भूमि जिस पर अपीलार्थी का दक्षिण तरफ रिहायशी मकान का दरवाजा खुलता है, को अवरूद्ध कर आवागमन बाधित किया है ऐसा पट्टा बने रहने से अपीलार्थी का आवागमन बाधित हो रहा है और अपीलार्थी को घौर असुविधा हो रही है। इसलिए अपीलार्थी तथाकथित पट्टा को निरस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। इसलिए अपील को अन्दर मियाद माना जाऐ व अपीलाधीन पट्टा को खारिज किया जाऐ।

5. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 61 के अन्तर्गत पेश अपील को दर्ज की जाकर पक्षकारान को सुनवाई नोटिस जारी किये गये । पक्षकारांन को सुनवाई के अवसर प्रदान किये। मौका रिपोर्ट कमेटी को वादगत भूखण्ड का मौका निरिक्षण कर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी।
6. गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07. 04.2022 विधि विरूद्ध व अनुचित होने व पंचायत राज अधिनियम के विहित प्रावधानों के विपरित होने के कारण जैर निगरानी अपास्तनीय है,
7. गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय में गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 के दादा के नाम से जारी पट्टा के दक्षिण दिशा में आम रास्ता होना दर्शाया है परन्तु उक्त रास्ता निगरानीकर्ता व गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 के दादा ने अपने पक्ष में जारी पट्टे शुद्धा भूमि का अपने तीनों पुत्रों में बंटवारा कर दिया था तथा बंटवारा के मुताबिक निगरानीकर्ता के पिता रामकुमार के पक्ष में दिनांक 11.11.1981 को ग्राम पंचायत फेफाना ने विधिवत् पट्टा जारी कर उसे सौंपा था तथा निगरानीकर्ता के पिता ने अपनी उक्त पट्टे शुद्धा भूमि का दिनांक 26.03.2010 को निगरानीकर्ता के पक्ष में दान–पत्र पंजीकृत व निष्पादित करवा दिया है यही नहीं इसके अलावा निगरानीकर्ता ने उक्त दान–पत्र में प्राप्त पट्टे शुद्धा भूमि के सम्बंध में माननीय सिविल न्यायालय नोहर के न्यायालय में दीवानी दावा प्रस्तुत कर रखा था जो अब

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अंतरण होकर वर्तमान में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नोहर के न्यायालय में लम्बित है इसके सम्बंध में विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर को निगरानीकर्ता ने अपने अधिवक्ता के मार्फत दिनांक 11.04.2022 को एक विधिवत् नोटिस प्रेषित कर जरिये डाक द्वारा सूचना भी दे दी गई थी जिसका ज्ञान गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 को भी था तथा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.04.2022 को अपील का निर्णय पारित करते समय उक्त तथ्य को नजर अंदाज कर पट्टाधारी मृतक रामकुमार के सभी विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर न लेकर केवल मृतक रामकुमार स्थान पर निगरानीकर्ता को प्रत्यर्थी संख्या 2 के रूप में पक्षकार संयोजित कर निर्णय पारित किया है परन्तु उसे अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय न तो उसे सुना गया और ना ही उसे सुनवाई का कोई अवसर दिया गया इसलिए उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.04.2022 अपने आप में कोई महत्व नहीं रखता है तथा उक्त निर्णय विधि का दृष्टि से उचित नहीं है केवल राजनैतिक दबाब व प्रभाव में आकर पारित किया गया निर्णय है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

8. यहां पर यह भी निवेदन करना उचित है कि निगरानीकर्ता व ग्राम फेफाना के अन्य पट्टाधारियों के पक्ष में ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा जारी करीब 172 पट्टों को निरस्त करवाये जाने हेतु ग्राम पंचायत ने पंचायत समिति नोहर में अपील प्रस्तुत की थी परन्तु इस विषयवस्तु के सम्बंध में मामला माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायालय में याचिका में पारित निर्णय अनुसार निगरानीकर्ता के पिता व अन्य पट्टाधारियों के पक्ष में ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा जारी पट्टों को सही माना है व जोहड़ पायतन की भूमि पर नहीं होना माना है इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा इस सम्बंध में अपना अभिमत दिया जा चुका है फिर भी गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 ने बिना कोई रिकॉर्ड का अवलोकन किये वगैर उक्त निर्णय पारित किया है, जो खारिज योग्य है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी निगरानीकर्ता स्वीकार फरमाई जाकर पंचायत समिति नोहर अर्थात् गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 द्वारा अपील संख्या 09/2014 जिसकी प्रविष्टी तिथि 15.07.2014 पारित निर्णय दिनांक 07.04.2022 को अपास्त किया जावें ।

निगरानी पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर से निगरानीधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से श्री रविन्द्र गोदार एडवोकेट उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या–02 तलबी होनें के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुये। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एडवोकेट ने अपनी बहस में कथन किया कि मेरे पिता रामकुमार के नाम दिनांक

15/9

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

11.11.1981 को ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा पट्टा जारी किया गया था। न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर में अपील पेश की गई। अपीलार्थी सुरेन्द्र के दादा लेखराम सुनार के नाम रिहायसी भूखण्ड का दिनांक 05.07.1972 को ग्राम पंचायत फेफाना ने पट्टा जारी किया, जिसकी माप उतर नत्थुराम 35 फुट, पूर्व आम गली 35 फुट, पश्चिम काशीराम मेघवाल 38 फुट, दक्षिण आम रास्ता 38 फुट। दादा की मृत्यु के पश्चात उक्त भूखण्ड 1/3 हिस्से में विभाजित हो गया। हमारा 1/3 हिस्से का पट्टा दिनांक 11.11.1981 को जारी हुआ। गैर निगरानीकर्ता ने मार्च 2014 में शिकायत की, कि हमारी गली बंद कर दी है और पट्टा जारी करवा लिया है। पट्टे की रिपोर्ट ग्राम पंचायत ने दी। इस पर अपील पेश कर दी। सुनवाई के पश्चात हमारा पट्टा अपास्त कर दिया गया। इसी निर्णय से व्यथित होकर निगरानी पेश की है। पट्टा मिसल दर्ज नहीं होनें से संदेहास्पद माना है जबकि नियम 166 राजस्थान पंचायती राज नियम के तहत पट्टा जारी है। मेरा पट्टा विधिक रूप से जारी था। रामकुमार की मृत्यु के पश्चात केवल मुझे पक्षकार बनाया गया जबकि अन्य वारिसानों को पक्षकार नहीं बनाया गया। यह पट्टा वर्ष 1981 में जारी किया हुआ है। इतना पुराना पट्टा बिना म्याद देखे खारिज किया। लगभग 43 वर्ष पूर्व जारी पट्टा गलत तरीके से खारिज किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 ने अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 05.09.1972 को जारी पट्टा है। दिनांक 11.11.1981 को निगरानीकर्ता ने पट्टा बनाया। वर्ष 1972 में जारी पट्टा जिसकी माप 35 x 38 फुट है, इसके चलते दिनांक 11.11.1981 को जो पट्टा रामकुमार के नाम बना वह विधि विरूद्ध है। इन्होनें 90 x 50 को पट्टा बनाया जो गिनाणी की भूमि को सम्मलित करते हुए बनाया है जिस पर पट्टा संख्या अंकित नहीं है न ही मिसल संख्या अंकित है। वर्ष 2014 में जब हमारा रास्ता रोका तब जानकारी हुई की पट्टा बनवाया हुआ है। रोका रिपोर्ट संलग्न है। यह पूर्व में जारी पट्टे से भिन्न है। अधीनस्थ न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर में सही निर्णय हुआ है। सिविल कोर्ट से भी स्थगन खारिज हो चुका है। वर्ष 1981 का पट्टा खरीदशुदा दिखाया गया है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी ने पुनः अपनी बहस में कथन किया कि हम 6 वारिस है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी 172 पट्टो में से यह पट्टा 47 नं0 पर था एंव सभी पट्टे तत्कालीन पंचायत समिति द्वारा खारिज हुए। श्रीगंगानगर कलक्टर क न्यायालय में निगरानी पेश हुई एंव सभी पट्टे बहाल कर दिए गए। पट्टाशुदा भूखण्ड आबादी में स्थित है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में अपील हुई जिसमें कलक्टर श्रीगंगानगर के निर्णय को बहाल रखा गया। माननीय उच्च न्यायालय से बहाल

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

पट्टों को क्या पुनः निगरानी में खारिज किया जा सकता है। अगर रास्ता खुलवाना था तो पट्टे क्यों खारिज हुये। म्याद बिन्दु पर दृष्टांत प्रस्तुत किये जो निम्न प्रकार है–

[Citation: 2008(2) DNJ (Raj.) 735 to 741]. अवमानना का बिन्दु महत्वपूर्ण बिन्दु है। अतः निर्णय अपास्त किया जावे।

हमनें अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही प्रस्तुत किए गए दस्तावेज एंव citation का भी अध्ययन किया । उक्त पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि इस पट्टे को सम्मलित करते हुए पूर्व में 172 पट्टों की उच्च न्यायालय तक सुनवाई हुई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के निगरानी में किए निर्णय के अनुसार ही सभी पट्टों को बहाल रखा है। ऐसे में उक्त पट्टे पर पुनः विचारण res judicata से प्रभावित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दु को न केवल पूर्णतया नजरअंदाल किया गया अपितु उक्त पट्टे को खारिज कर दिया गया जो माननीय उच्च न्यायालय की अवहेलना की श्रेणी में आता है। साथ ही 43 वर्ष पश्चात किसी पट्टे पर विचार करना म्याद के बिदुं पर स्वतः प्रश्नचिन्ह कारित करता है। पूर्व में जिला कलक्टर श्रीगंगानगर एंव उच्च न्यायालय में जारी वादों में पंचायत समिति/ ग्राम पंचायत पक्षकार होने से जानकारी न होनें का बिन्दु अस्वीकार्य है। म्याद के बिन्दु पर भी अपील खारिज योग्य है। इस बिन्दु पर अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत पूर्णतया चस्पा होता है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमानें ढंग से विचारण किया गया है जो न्यायहित में नहीं है। अगर किसी पक्षकार को रास्ते/ अतिक्रमण संबधी समस्या है तो इसकी अलग से कार्यवाही की जानी चाहिए न कि किसी का पट्टा निरस्त होना चाहिए। उपस्थित समस्त दस्तावेजो के आधार पर यह निगरानी स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायलय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाया जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 15.09.2023 को सरेइजलास सुनाया गया।

15/09/2023

(चंचल धर्मा आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बोहर (हनुमानगढ़)